Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

RBE No. 94/2010

No. E(MPP)2009/3/6 New Delhi, dated 1 .07.2010

The General Managers,
All Indian Railways including Production Units

Sub: - Messing facilities in respect of Group'C' & 'D' staff undergoing training in Railway Training Centres – DC/JCM Item No.07/2007

Ref: - Board's letter No. (i) E(Trg)73(32)/1 dated 24-5-76
(ii) E(Trg)80/35/4 dated 26-6-84 and
(iii) E(G)/91 AL6-1 dated 16-8-85

As per the extant instructions, Railway employees nominated to undergo training, other than training in initial course in Railway Training Centres, are provided free messing, where it is compulsory. The messing rates for employees undergoing training are to be fixed on a uniform basis by the General Managers in consultation with their FA&CAOs. These rates correspond to roughly 80% of the daily allowance being spent on messing, so that wholesome food could be supplied. These instructions also provide for 20% of the rate of Daily Allowance being paid to the trainees for incidental expenses.

The question of revising instructions on messing facilities in respect of railway employees undergoing training in the Railway Training Centres has been under consideration of the Ministry of Railways. The matter was raised in the DC/JCM(Railways) meeting and after due deliberations with the Federations, it has been decided that:

(i) All the trainees availing the messing facilities should pay the messing charges directly to the training centres before being relieved from the training courses. In the case of in service staff, 100% Daily Allowance claim may be allowed, once messing charges have been fully paid by such staff and if they are otherwise eligible.

(ii) The messing facilities should be gradually outsourced. Once outsourcing has been given effect to, the messing rates for employees undergoing training should be deducted from the trainees on the basis of actuals. Until the change to outsourcing takes place, messing rates should be fixed by the General Managers in consultation with their FA&CAOs. There would be no concept of free messing after issue of these instructions.

(iii) The plant & machinery and equipments wherever required by the mess in the Training Centres can be provided by the Administration. While petty repairs and contingencies costing up to Rs. 500/- per item should be met from the mess fund, expenditure on repairs and contingencies costing above Rs.500/- on each occasion per item provided by the Railway Administrations should be undertaken by the Administration themselves. No departmental staff such as Cooks,

Bearers, Cleaners etc. should be made available for providing messing facilities, after outsourcing the same. The departmental staff wherever engaged in the mess in the Training Centres should be suitably redeployed.

(iv) No charges towards water, cess, rent and overheads should be recovered. These may be considered as part of the infrastructure.

(v) The nominated Training Manager of the Department concerned should supervise the function of mess in consultation with Principal/In charge of the training centres through a mess committee consisting of representatives of the trainees and Faculty of the training centres. The management of the mess should be the responsibility of the Mess Committee and the modalities of forming the Mess Committee may be decided by the Railway Administration themselves.

(vi) Guest charges, if any, should be fixed by the Training Centres on cost plus basis.

(vii) A Six-monthly Audit of the mess accounts should be ensured through Associate Finance of the Training Centres concerned and suitable honorarium paid. The rates of the honorarium should be worked out by the Training Centres in consultation with their Associate Finance.

(viii) The mess should function on no-profit-no loss basis taken on annual basis and profits, if any, left over should be utilized for enhancing the sports and library activities of the training institution concerned.

The above guidelines are issued in supercession of all existing instructions on the subject.

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(K. Harikrishnan)
Director(MPP)
Railway Board.

No. E(MPP)2009/3/6 New Delhi, dated 1.07.2010

Copy to:

(i) The FA&CAOs, All Indian Railways including Production Units.

(ii) Pay & Account Officers, Railway Board.

(K. Harikrishnan)
Director(MPP)
Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 94/2010

सं. ई (एमपीपी)2009/3/6 नई दिल्ली, दिनांक: । .07.2010

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय: रेलवे प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण लेने वाले ग्रुप 'सी' एवं 'डी' कर्मचारियों के संबंध में मेस की सुविधाएं- डीसी/जेसीएम की मद सं. 07/2007.

संदर्भ: बोर्ड का पत्र सं. (i) ई(ट्रेनिंग)73/(32)/1 दिनांक 24.05.1976.
(ii) ई(ट्रेनिंग)80/35/4 दिनांक 26.06.1984.
(iii) ई(जी)/91 एएल6-1 दिनांक 16.08.1985.

वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, रेलवे प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रारंभिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के अलावा प्रशिक्षण लेने के लिए नामित रेलवे कर्मचारियों को जहां अनिवार्य हो, नि:शुल्क मेस की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। प्रशिक्षण लेने वाले कर्मचारियों के लिए मेस की दरें महाप्रबंधकों द्वारा उनके वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारियों के परामर्श से एकसमान आधार पर निर्धारित की जाती हैं। मेस पर खर्च की जाने वाली ये दरें दैनिक भत्ते का लगभग 80% होती हैं ताकि पौष्टिक खाना सप्लाई किया जा सके। इन अनुदेशों में प्रशिक्षणार्थियों को आनुषंगिक खर्चे के लिए 20% की दर पर दैनिक भत्ते का भुगतान किए जाने की भी व्यवस्था है।

रेलवे प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण लेने वाले रेलवे कर्मचारियों के संबंध में मेस की सुविधाओं से संबंधित अनुदेशों को संशोधित करने के प्रश्न पर रेल मंत्रालय ने विचार किया है। इस मामले को डीसी/जेसीएम (रेलों) की बैठक में उठाया गया था और इस पर यथोचित विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि:

(i) मेस की सुविधाओं का लाभ उठाने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से कार्यभार-मुक्त होने से पहले प्रशिक्षण केन्द्रों को सीधे ही मेस के प्रभारों का भुगतान करना होगा। यदि सेवारत कर्मचारियों द्वारा मेस के प्रभारों का पूर्णतया भुगतान कर दिया गया हो तथा यदि वे अन्यथा पात्र हो तो ऐसे कर्मचारियों के मामले में 100% दैनिक भत्ते का दावा करने की अनुमति होगी।

(ii) मेस की सुविधाएं धीरे-धीरे आउटसोर्स की जाएंगी। एक बार आउटसोर्सिंग शुरू हो जाने पर, प्रशिक्षण लेनेवाले कर्मचारियों के लिए मेस की दरें वास्तविक दरों के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों से ली जाएंगी। जब तक आउटसोर्सिंग शुरू न हो, तब तक मेस की दरें

महाप्रबंधकों द्वारा उनके वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारियों के परामर्श से निर्धारित की जाएंगी। इन अनुदेशों के जारी होने के बाद नि:शुल्क मेस की कोई अवधारणा नहीं होगी।

(iii) प्रशिक्षण केन्द्रों में मेस द्वारा जहां कहीं अपेक्षित हो संयंत्र एवं मशीनरी तथा उपकरण प्रशासन द्वारा मुहैया कराए जा सकते हैं। प्रति मद 500/- रुपए तक की लागत वाली छोटी-मोटी मरम्मतें तथा आकस्मिकताएं मेस की निधि से पूरी की जाएंगी, रेलवे प्रशासनों द्वारा हर बार मुहैया की गई प्रति मद 500/- रुपए से अधिक की लागत वाली मरम्मतों तथा आकस्मिकताओं पर खर्च प्रशासन द्वारा स्वयं किया जाएगा। इसको आउटसोर्स करने के बाद मेस की सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए रसोइया, बैरे, क्लीनरों आदि जैसे विभागीय कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। प्रशिक्षण केन्द्रों में मेस में जहां कहीं विभागीय कर्मचारी नियुक्त हो, उनकी उपयुक्त रूप से पुन: तैनाती की जाएगी।

(iv) पानी, उपकर, किराए तथा ऊपरी खर्चों के लिए किसी प्रभार की वसूली नहीं की जाएगी। इन्हें अवसंरचना के भाग के रूप में माना जाएगा।

(v) संबंधित विभाग के नामित प्रशिक्षण प्रबंधक, मेस समिति जिसमें प्रशिक्षणार्थियों और प्रशिक्षण केन्द्रों के फैकल्टी के प्रतिनिधि शामिल हो, के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रिंसीपल/प्रभारी के परामर्श से मेस के कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे। मेस के प्रबंधन की जिम्मेवारी मेस समिति की होगी तथा मेस समिति बनाने के तरीकों के बारे में रेलवे प्रशासन द्वारा स्वयं निर्णय लिया जाएगा।

(vi) गेस्ट प्रभार, यदि कोई हो, प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा लागत प्लस आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

(vii) संबंधित प्रशिक्षण केन्द्रों के संबद्ध वित्त के माध्यम से मेस के लेखों की छमाही लेखा परीक्षा सुनिश्चित की जाएगी तथा उपयुक्त मानदेय का भुगतान किया जाएगा। मानदेय की दरें प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा उनके संबद्ध वित्त के परामर्श से निर्धारित की जाएंगी।

(viii) मेस वार्षिक आधार पर लिए गए कोई लाभ नहीं कोई हानि नहीं के आधार पर कार्य करेगी तथा लाभ, यदि कोई हो, का संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के खेलकूद तथा लाइब्रेरी कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

उपर्युक्त मार्गनिर्देश इस विषय पर सभी मौजूदा अनुदेशों के स्थान पर जारी किए गए हैं।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(के. हरिकृष्णन)
निदेशक (एमपीपी)
रेलवे बोर्ड

ESST-E (MPP)